न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 102/2019 निर्णय दिनांक :— 10-7-19

उनवान

1. मोहरपाल पुत्र भागोता

2. रामचरण पुत्र भागोता जाति गुर्जर ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान

........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0

..अप्रार्थीगण

<u>**दावा नाम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा**</u>

प्रार्थीगण ने वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया कि :—

वादी की शामलात्ती कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि आराजीं खसरा नं0 254 रकबा 0.50 है, खसरा नं0 258 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 313 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 314 रकबा 0.06 है, खसरा सं0 315 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 316 रकेबां 1.77 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.05 हैं0, खसरा. नं० 318 रकबा 0.07 है0, [illegible] नं0 360 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.04 है0, [illegible] कुल रकबा 2.78 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भूमि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में रिथत है। जिसको वादग्रस्त आराजीं से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में मोहरपाल, रामचरण पुत्रान भागोता जाति गुर्जर निवासी .कस्बा चाकसू अंकित कर रखा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम मोहरपाल, रामचरण पुत्रान भागोता जाति गुर्जर निवासी किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों लापरवाही से वादी का निवासी गलत अंकित कर दिया। राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी समक्ष के अधिकारी के आदेश के बिना नाम दर्ज करने में गलती की है। जो कानून अवैध है। राजस्व रिकॉर्ड के अलावा वादी का नाम राशन कार्ड, वोटरलिस्ट में मोहरपाल, रामचरण पुत्रान भागोता, जाति गुर्जर निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर ही दर्ज चला आ रहा है। तथा वादी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वादी का नाम मोहरपाल, रामचरण पुत्रान भागोता जाति गुर्जर निवासी ग्राम. किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर ही हैं, व वादी को आम जनता में भी मोहरपाल, रामचरण पुत्रान भागोता जाति गुर्जर निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर के नाम से ही जानते है, जिससे वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना पता ग्राम किशनपुरा तहसील वाकसू जिला जयपुर दुरूस्त करावें, तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें। जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 13.05.2019 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले ली तथा बैंक में दिखाया तो बैंक वालो ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

बताया कि आपका का पता गलत कस्बा चाकसू अंकित कर रखा है। पहले अपने पता को दुरूस्त करावो, तब वादी को अपने गलत पता की जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में अंकित अपना पता कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जयपुर के स्थान पर सही पता ग्राम किशनपुरा तहसील वाकसू जिला जयपुर दुरूस्त करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करावें, जिससे वादी के कब्जे, काश्त के राजस्व रिकॉर्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं करें। वादी के लिये वाद कारण दिनांक 13.05.2019 को जब राजस्व रिकॉर्ड की नकले लेकर बैंक में दिखाने पर तथा बैंक वालो द्वारा वादी का पता गलत अंकित होने के लिये कहने पर उत्पन्न हुआ, जिससे वाद श्रीमान के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं० 01 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। वादी का बाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय हाजा को प्राप्त है। वाद वादी पेश कर निवेदन है कि :–

वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर विवा[illegible] खसरा नं0 254 रकबा 0.50 है, खसरा नं0 258 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 259 रकबा 0.02 है0 खसरा नं0 313 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 314 रकबा 0.06 है, खसरा सं0 315 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 316 रकेबा 1.77 है0 खसरा नं0 317 रकबा 0.05 हैं0, खसरा. नं० 318 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 360 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 361 रकबा 0.04 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 2.78 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

भूमि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में अंकित पता कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर के स्थान पर वादी का पता ग्राम किशनपुरा ततसील चाकसू जिला जयपुर दुरूस्त फरमाया जावें तथा इस दुरूस्ती का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वो वादी की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में किसी तरह की त्रुटि नहीं करें, न! ही स्वयं करें, ना ही अन्य से करावें।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किया जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार इस प्रकार पेश किया गया कि :–

मद संख्या 1 मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम किशनपुरा सम्वत् 2072–75 में खाता संख्या 49 में दर्ज अंकन की हद तक स्वीकार है। मद संख्या 2 के कम में खाता संख्या 49 में वादी मोहरपाल, रामचरण पि0 भागोता, का पता कस्बा चाकसू दर्ज रिकार्ड है। शेष वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 3 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें। वादी के अन्य दस्तावज जैस राशनकार्ड ,आधारकार्ड में पता ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू अंकित है। शेष कानूनी है। मद संख्या 4 से 6 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 7 से 9 कानूनी है। मद संख्या 10(क) से 10(ग) के क्रम में वादी ग्राम किशनपुरा की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 49 में दर्ज पता कस्बा [illegible] के स्थान पर पता ग्राम किशनपुरा तहसील चा[illegible] है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:54:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वादी ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार अनुसार दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया।

वकील की बहस पर गौर किया व दावा जवाब सरकार एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 254, 258, 259, 313, 314, 315 से 318, 361 किता 11 रकबा 2.78 है0 भूमि वाके ग्राम किशनपुरा तहसील चाकसू में अंकित पता कस्बा चाकसू तहसील चाकसू के स्थान पर वादी का पता किशनपुरा तहसील चाकसू दुरूस्त किया जाता है व इसी अनुसार वादी का पता राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी

चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested